न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 शिविर ग्राम पंचायत – बासना

पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 1088 / 2017

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

वादीगण:

1. शेषाराम पुत्र जोराराम
2. पारकी पत्नी जोराराम जाति बावरी, निवासी अटबडा, तहसील सोजत, जिला–पाली, (राजस्थान)

प्रतिवादीगण:

1 तिजाई पत्नी जोगाराम
2 रूपाराम
3 ओमप्रकाश
4 दिनेश
5 गौतम पिसरान जोगाराम
6 प्रियंका
7 विमला पुत्रीयां जोगाराम
8 भंवरीदेवी पत्नी राजीराम
9 भेराराम
10 तुलछाराम पिसरान राजीराम
11 नाथी पुत्री राजीराम
12 किशना पुत्र सुराराम
13 दरीयाव पत्नी कानाराम
14 भीमाराम
15 नेमाराम
16 रमेश
17 मुकेश पिसरान कानाराम
18 काली
19 समदु पुत्रियॉ कानाराम
20 मृतक मेघा पुत्र भगवान के कायम मुकामः –
 1 देवाराम पुत्र मेघाराम
 2 सीता पुत्री मेघाराम
21 सीतादेवी पत्नी किशनाराम, जातियान बावरी निवासीगण अटबडा तहसील सोजत, जिला पाली, राजस्थान।
22 तहसीलदार (भूमि–धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला–पाली

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

<u>उपस्थितिः–</u>

1. श्री गजेन्द्र परिहार, अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. श्री महेन्द्र चौधरी एवं मनोहर चौधरी, अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 01

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला–पाली) राज

—: <u>निर्णय</u> :— दिनांक — 10.11.2021

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा अटपडा तहसील सोजत में वर्तमान खाता संख्या 1356 के खसरा संख्या 1947 ,रकबा 0.7000 हैक्टर, किस्म बा.अ., खसरा संख्या 1948 ,रकबा 0.6400 हैक्टर, किस्म बा.अ., खसरा संख्या 1949 ,रकबा 0.6200 हैक्टर, किस्म बा.अ., खसरा संख्या 1950 ,रकबा 0.9200 हैक्टर, किस्म बा.अ.,खसरा संख्या 1951 ,रकबा 1.0000 हैक्टर, किस्म बा.अ.,खसरा संख्या 1952 ,रकबा 1.2900 हैक्टर, किस्म बा.अ., कुल खसरा 6 ,कुल रकबा 5. 1750 हैक्टर, जिसमें वादीगण का 1/4 एक बट्टा चार एवं प्रतिवादी संख्या 8 से 11 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 12 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 13 से 19 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 20 का 1/4 हिस्सा आता व बनता है। अन्य कृषि भूमि जिसके वर्तमान खाता संख्या 1357 के खसरा संख्या 2010 ,रकबा 0.6700 हैक्टर, किस्म बा. अ., खसरा संख्या 2021 ,रकबा 0.5000 हैक्टर, किस्म बा.अ., खसरा संख्या 2032 ,रकबा 0. 5000 हैक्टर, किस्म बा.अ., खसरा संख्या 2040 ,रकबा 0.6700 हैक्टर, किस्म बा.अ., खसरा संख्या 2054 ,रकबा 0.6800 हैक्टर, किस्म बा.अ., खसरा संख्या 2062 ,रकबा 0.7100 हैक्टर, किस्म बा.अ., कुल खसरा 06 कुल रकबा 3.7300 हैक्टर स्थित है। उपरोक्त आराजी में वादीगण का 1/4 एक बट्टा चार एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 से 19 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 21 का 1/4 हिस्सा, आता व बनता है। प्रतिवादी संख्या 21 ने कुल खसरा 06 रकबा 3.7300 है0 आराजी की भूमि का 1/4 हिस्सा खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है, जिससे प्रतिवादी संख्या 21 बतौर खातेदार के रूप में दर्ज है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 20 के पूर्वजो की वंशावली अनुसार मूलपुरूष भगवान के 4 पुत्र क्रमशः सुराराम, रूघाराम, जोराराम एवं मेघाराम हुए। सुराराम के पुत्रान राजी, किशना व काना हुए। राजी के भंवरी, भेरा व तुलछा वारिसान तथा काना के दरियाव, भोमा, नेमा, रमेश, मुकेशव समदू है। रूघाराम के जोगा तथा जोगा के तिजाई रूपा, ओमप्रकाश, दिनेश, गौतम, प्रियंका व विमला वारिसान है। जोराराम के पारकी व शेषाराम तथा मेघाराम के देवाराम व सीता वारिसान हुएं

वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 21 के उक्त वर्णित आराजी की भूमि के मौके पर अपने अपने हिस्से अनुसार बंटवाडा कर काबिज काश्त है। पद संख्या 1 एक में वर्णित भूमि में वादीगण का उपरोक्तानुसार खातेदारी हक हकुक कब्जा काश्त का आता व बनता है। उक्त वादस्थ कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकार्ड में अविभाजित है, प्रतिवादीगण अपनी मनमर्जी से संयुक्त कृषि जोत भूमि पर अलग अलग

उप खण्ड अधिकारी

कब्जा करना चाहते है जो जब तक कृषि भूमि का कायदे के अनुसार विभाजन नही करा लेवे कब्जा करने के हकदार नहीं है। वादीगण की बडी हक तलफी होगी सारी कृषि भूमि एक सही नहीं है, हल्की भारी, कम उपजाउ, ज्यादा उपजाउ है तथा प्रतिवादी संख्या 1 एक से 7 ने अपनी मर्जी माफिक बंटवाडा कर रहे है, जो प्रतिवादी संख्या 1 एक से 7 सात को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। अतएव वादीगण इस कृषि भूमि का डिवीजन ऑफ होल्डींग बाई मीटस एण्ड बाउण्ड बंटवाडा करवाकर अपना पैरा संख्या 01 एक में वर्णित भूमि का खातेदारी रिकॉर्ड अनुसार वादीगण अपना हिस्सा अलग करवाना चाहते है। अतएव वादीगण का यह दावा धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम डिवीजन ऑफ होल्डींग बंटवाडा बाई मीटस एण्ड बाउण्ड करवा कर अपना हिस्सा अलग करवा कर अलग से कब्जा प्राप्त करने का प्रस्तुत करता है। वादीगण द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि में अपने हिस्से की भूमि में खडी फसल की देखरेख हेतु दिनांक 20.09.2017 को गया तो प्रतिवादी संख्या 01 एक से 07 सात ने वादीगण को उक्त कृषि भूमि में आने से मना कर दिया व बाधा अडचन उत्पन्न करने लगे तथा प्रतिवादी संख्या 01 एक से 07 सात ने अपनी मनमर्जी ताबडतोड तरीके से भूमि में कब्जा काश्त करने लग गये। वादीगण ने उक्त भूमि में निहित अपने हिस्से माफिक भूमि का बंटवाडा करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने बंटवाडा करने से साफ इंकार कर दिया। वाद हेतु दिनांक 20.0.9.2017 को प्रतिवादीगण संख्या 1 एक से 7 सात द्वारा वादीगण को उसके हिस्से की भूमि में जाने से मना करने व बाधा अडचन उत्पन्न कर दखलन्दाजी करने से व मनमर्जी से कब्जा काश्त करने से तथा वादीगण द्वारा हिस्से माफिक बंटवाडा करने का कहने पर प्रतिवादी संख्या 01 एक से 07 सात द्वारा मना कर धमकियां देने से बमुकाम ग्राम अटपडा में पैदा हुआ। वाद अंतर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का होने से व वादस्थ कृषि भूमि ग्राम अटपडा तहसील सोजत पर स्थित होने से इस न्यायालय को यह वाद श्रवण करने का क्षेत्राधिकार है। प्रतिवादी संख्या 22 तहसीलदार, लैण्ड होल्डर होने से तथा प्रतिवादी संख्या 8 से 21 सह खातेदार होने से वाद में आवश्यक पक्षकार प्रतिवादीगण बनाये गये है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी ने वाद–पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण उक्त वादस्थ कृषि जोत भूमि का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा कराया जावे। उक्त संपूर्ण भूमि में वादीगण का 1/4 हिस्सा बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस अलग करवाया जाकर उस पर अलग से वादी का कब्जा कराया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 से 7 जब तक वादग्रस्त कृषि जोत भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा करवा कर अलग से कब्जा प्राप्त नहीं कर ले जब तक वादस्थ कृषि जोत की भूमि पर अपनी मर्जी माफिक बंटवाडा कर कब्जा नहीं करे तथा वादीगण के हिस्से के कब्जा काश्त के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा, अडचन व दखलन्दाजी पैदा नहीं करे प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को

जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस वास्ते ज0दा0 तलब किया गया। प्रति0 संख्या 2, 3, 4, 5 व 7 की ओर से महेन्द्र चौधरी को दिनांक 30.10.2017 से लगातार वकालतनामा पेश करने का अवसर चाहे जाने पर भी विफल रहने से अवसर समाप्त किया गया दिनांक 08.04.2021 को प्रति0 सं0 2 से 22 को बावजूद तामिली/सूचना बार–बार आवाजें दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रति0 सं0 22 का जबाब दावा दिनांक 04.09.2018 को पेश किया, सा0मि0 है। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 को दिनांक 02.10.2021 को ज0दा0 पेश किया सा0मि0 है।

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 ग्राम बासना में पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण द्वारा माफिक राजस्व रेकर्उ प्रा0 डिक्री जारी कर वादस्थ उक्त कृषि भूमि का बाईमिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा करवाये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत से विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पालना चाही गई। तहसीलदार, सोजत ने प्रा0 डिक्री पालना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 अनुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रस्तुत की, सा0मि0 है।

बहस वकुलाय सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत वाद–पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पत्रांक/राजस्व/2021/4258 दिनांक 27.10.2021 का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा उभय पक्षों की स्वकारोक्ति/सहमति हो जाने से वाद डिक्री किया जाना तथा वादी की भूमि का पक्षकारानों के मध्य बंटवाड़ा/विभाजन किया जाकर राजस्व रेकर्ड में तरमीम/राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाना उचित समझते है।

–: **आदेश** :–

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 27.10.2021 डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा अटपडा तहसील सोजत में वर्तमान खाता संख्या 1356 के खसरा संख्या 1947 ,रकबा 0.7000 हैक्टर, किस्म बा.अ., खसरा संख्या 1948 ,रकबा 0.6400 हैक्टर, किस्म बा.अ., खसरा संख्या 1949 ,रकबा 0.6200 हैक्टर, किस्म बा.अ., खसरा संख्या 1950 ,रकबा 0.9200 हैक्टर, किस्म बा.अ.,खसरा संख्या 1951 ,रकबा 1.0000 हैक्टर, किस्म बा.अ.,खसरा संख्या 1952 ,रकबा 1.2900 हैक्टर, किस्म बा.अ., कुल खसरा 6 ,कुल रकबा 5.1750 हैक्टर, एवं अन्य कृषि भूमि जिसके वर्तमान खाता संख्या 1357 के खसरा संख्या 2010 ,रकबा 0.6700 हैक्टर, किस्म बा.अ., खसरा संख्या 2021 ,रकबा 0.5000 हैक्टर, किस्म बा.अ., खसरा संख्या 2032

,रकबा 0.5000 हैक्टर, किस्म बा.अ., खसरा संख्या 2043 ,रकबा 0.6700 हैक्टर, किस्म बा.अ. , खसरा संख्या 2054 ,रकबा 0.6800 हैक्टर, किस्म बा.अ., खसरा संख्या 2062 ,रकबा 0. 7100 हैक्टर, किस्म बा.अ., कुल खसरा 06 कुल रकबा 3.7300 हैक्टर की कृषि भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में विभाजन/बंटवाड़ा निम्नांकित रूप से किया जाता हैः–

क्र.स.	नाम खातेदार	खाता सं0	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1	शेषाराम पुत्र जोराराम 1/2 पारकी पत्नी जोराराम 1/2 जाति बावरी सा. देह खातेदार(वादीगण)	खाता सं0 1357	2010/1 2021/1 2032/1	0.3600 0.2900 0.2800	बा.अ. बा.अ. बा.अ.	1.80 1.45 .1.40
		योगः–	03	0.9300	बा0अ0	4.65
2	ओमप्रकाश पुत्र जोगाराम 1/21 काली पुत्री कानाराम 1/63 किशना पुत्र सूरा 1/9 गौतम पुत्र जोगाराम 1/21 तुलसाराम पुत्र राजीराम 1/36 तिजाई पत्नी जोगाराम 1/21 दरियाव पत्नी कानाराम 1/63 दिनेश पुत्र जोगाराम 1/21 नेमाराम पुत्र कानाराम 1/63 नाथी पुत्री राजीराम 1/36 प्रियंका पुत्री जोगाराम 1/21 भेराराम पुत्र राजीराम 1/36 भंवरीदेवी पत्नी राजीराम 1/36 भीमाराम पुत्र कानाराम 1/63 मुकेश पुत्र कानाराम 1/63 रूपाराम पुत्र जोगाराम 1/21 रमेश पुत्र कानाराम 1/63 विमला पुत्री जोगाराम 1/21 समदु पुत्री कानाराम 1/63 सीतादेवी पत्नी किशनाराम 1/3 जाति बावरी सा. देह खातेदार (प्रतिवादीगण)	खाता सं0 1357	2010 2021 2032 2043 2054 2062	0.3100 0.2100 0.2200 0.6700 0.6800 0.7100	बा.अ. बा.अ. बा.अ. बा.अ. बा.अ. बा.अ.	1.55 1.05 1.10 3.35 3.40 3.55
		योगः–	6	2.8000	बा.अ	14.00
1	शेषाराम पुत्र जोराराम 1/2 पारकी पत्नी जोराराम 1/2 जाति बावरी सा. देह खातेदार (वादीगण)	खाता संख्या 1356	1947/1 1950	0.3700 0.9200	बा.अ. बा.अ.	1.85 4.60
		योगः–	2	1.2900	बा.अ.	6.45
2	ओमप्रकाश पुत्र जोगाराम 1/21 काली पुत्री कानाराम 1/63 किशना पुत्र सूरा 1/9 गौतम पुत्र जोगाराम 1/21		1947 1948 1949 1951 1952	0.3300 0.6400 0.6200 1.0000 1.2900	बा.अ. बा.अ. बा.अ. बा.अ. बा.अ.	1.65 3.20 3.10 5.00 6.45

	तुलसाराम पुत्र राजीराम 1/36 तिजाई पत्नी जोगाराम 2/315 दरियाव पत्नी कानाराम 59/420 देवाराम पुत्र मेघाराम 1/8 दिनेश पुत्र जोगाराम 1/21 नेमाराम पुत्र कानाराम 1/63 नाथी पुत्री राजीराम 1/36 प्रियंका पुत्री जोगाराम 1/21 भेराराम पुत्र राजीराम 1/36 भंवरीदेवी पत्नी राजीराम 1/36 भीमाराम पुत्र कानाराम 1/63 मुकेश पुत्र कानाराम 1/63 रूपाराम पुत्र जोगाराम 1/21 रमेश पुत्र कानाराम 1/63 विमला पुत्री जोगाराम 1/21 समदु पुत्री कानाराम 1/63 सीतादेवी पुत्री मेघाराम 1/8 जाति बावरी सा. देह खातेदार (प्रतिवादीगण)	योगः–	5	3.8800	बा.अ.	19.40

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना प्रतिवेदन न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा पृथक से मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021
शिविर ग्राम पंचायत – बासना

यह निर्णय आज दिनांक 10.11.2021 को सरे ईजलास प्रशासन गांवो के संग अभियान/कोर्ट कैम्प, बासना में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021
शिविर ग्राम पंचायत – बासना

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री गोपाल जांगिड आर.ए.एस.

वादीगण

1. शेषाराम पुत्र जोराराम
2. पारकी पत्नी जोराराम जाति बावरी, निवासी अटबडा, तहसील सोजत, जिला–पाली, (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण

1 तिजाई पत्नी जोगाराम
2 रूपाराम
3 ओमप्रकाश
4 दिनेश
5 गौतम पिसरान जोगाराम
6 प्रियंका
7 विमला पुत्रीयां जोगाराम
8 भंवरीदेवी पत्नी राजीराम
9 भेराराम
10 तुलछाराम पिसरान राजीराम
11 नाथी पुत्री राजीराम
12 किशना पुत्र सुराराम
13 दरीयाव पत्नी कानाराम
14 भीमाराम
15 नेमाराम
16 रमेश
17 मुकेश पिसरान कानाराम
18 काली
19 समदु पुत्रियॉ कानाराम
20 मृतक मेघा पुत्र भगवान के कायम मुकामः –
   1 देवाराम पुत्र मेघाराम
   2 सीता पुत्री मेघाराम
21 सीतादेवी पत्नी किशनाराम, जातियान बावरी निवासीगण अटबडा तहसील सोजत, जिला पाली, राजस्थान।
22 तहसीलदार (भूमि–धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला–पाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या :– 1088 / 2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री **गजेन्द्र परिहार एवं श्री महेन्द्र चौधरी एवं मनोहर चौधरी, अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 01** पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा अटपडा तहसील सोजत में वर्तमान खाता संख्या 1356 के खसरा संख्या 1947 ,रकबा 0.7000 हैक्टर, किस्म बा.अ., खसरा संख्या 1948 ,रकबा 0.6400 हैक्टर, किस्म बा.अ., खसरा संख्या 1949 ,रकबा 0.6200 हैक्टर, किस्म बा.अ., खसरा संख्या 1950

,रकबा 0.9200 हैक्टर, किस्म बा.अ.,खसरा संख्या 1951 ,रकबा 1.0000 हैक्टर, किस्म बा.अ. ,खसरा संख्या 1952 ,रकबा 1.2900 हैक्टर, किस्म बा.अ., कुल खसरा 6 ,कुल रकबा 5.1750 हैक्टर, एवं अन्य कृषि भूमि जिसके वर्तमान खाता संख्या 1357 के खसरा संख्या 2010 ,रकबा 0. 6700 हैक्टर, किस्म बा.अ., खसरा संख्या 2021 ,रकबा 0.5000 हैक्टर, किस्म बा.अ., खसरा संख्या 2032 ,रकबा 0.5000 हैक्टर, किस्म बा.अ., खसरा संख्या 2043 ,रकबा 0.6700 हैक्टर, किस्म बा.अ. , खसरा संख्या 2054 ,रकबा 0.6800 हैक्टर, किस्म बा.अ., खसरा संख्या 2062 ,रकबा 0.7100 हैक्टर, किस्म बा.अ., कुल खसरा 06 कुल रकबा 3.7300 हैक्टर की कृषि भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में विभाजन/बंटवाड़ा निम्नांकित रूप से किया जाता है:–

क्र.स.	नाम खातेदार	खाता सं0	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1	शेषाराम पुत्र जोराराम 1/2 परकी पत्नी जोराराम 1/2 जाति बावरी सा. देह खातेदार(वादीगण)	खाता सं0 1357	2010/1 2021/1 2032/1	0.3600 0.2900 0.2800	बा.अ. बा.अ. बा.अ.	1.80 1.45 .1.40
		योग:–	03	0.9300	बा0अ0	4.65
2	ओमप्रकाश पुत्र जोगाराम 1/21 काली पुत्री कानाराम 1/63 किशना पुत्र सूरा 1/9 गौतम पुत्र जोगाराम 1/21 तुलसाराम पुत्र राजीराम 1/36 तिजाई पत्नी जोगाराम 1/21 दरियाव पत्नी कानाराम 1/63 दिनेश पुत्र जोगाराम 1/21 नेमाराम पुत्र कानाराम 1/63 नाथी पुत्री राजीराम 1/36 प्रियंका पुत्री जोगाराम 1/21 भेराराम पुत्र राजीराम 1/36 भंवरीदेवी पत्नी राजीराम 1/36 भीमाराम पुत्र कानाराम 1/63 मुकेश पुत्र कानाराम 1/63 रूपाराम पुत्र जोगाराम 1/21 रमेश पुत्र कानाराम 1/63 विमला पुत्री जोगाराम 1/21 समदु पुत्री कानाराम 1/63 सीतादेवी पत्नी किशनाराम 1/3 जाति बावरी सा. देह खातेदार (प्रतिवादीगण)	खाता सं0 1357	2010 2021 2032 2043 2054 2062	0.3100 0.2100 0.2200 0.6700 0.6800 0.7100	बा.अ. बा.अ. बा.अ. बा.अ. बा.अ. बा.अ.	1.55 1.05 1.10 3.35 3.40 3.55
		योग:–	6	2.8000	बा.अ	14.00
1	शेषाराम पुत्र जोराराम 1/2 परकी पत्नी जोराराम 1/2 जाति बावरी सा. देह खातेदार (वादीगण)	खाता संख्या 1356	1947/1 1950	0.3700 0.9200	बा.अ. बा.अ.	1.85 4.60
		योग:–	2	1.2900	बा.अ.	6.45
2	ओमप्रकाश पुत्र जोगाराम 1/21 काली पुत्री कानाराम 1/63 किशना पुत्र सूरा 1/9 गौतम पुत्र जोगाराम 1/21 तुलसाराम पुत्र राजीराम 1/36 तिजाई पत्नी जोगाराम 2/315 दरियाव पत्नी कानाराम 59/420		1947 1948 1949 1951 1952	0.3300 0.6400 0.6200 1.0000 1.2900	बा.अ. बा.अ. बा.अ. बा.अ. बा.अ.	1.65 3.20 3.10 5.00 6.45
		योग:–	5	3.8800	बा.अ.	19.40

	देवाराम पुत्र मेघाराम 1/8 दिनेश पुत्र जोगाराम 1/21 नेमाराम पुत्र कानाराम 1/63 नाथी पुत्री राजीराम 1/36 प्रियंका पुत्री जोगाराम 1/21 भेराराम पुत्र राजीराम 1/36 भंवरीदेवी पत्नी राजीराम 1/36 भीमाराम पुत्र कानाराम 1/63 मुकेश पुत्र कानाराम 1/63 रूपाराम पुत्र जोगाराम 1/21 रमेश पुत्र कानाराम 1/63 विमला पुत्री जोगाराम 1/21 समदु पुत्री कानाराम 1/63 सीतादेवी पुत्री मेघाराम 1/8 जाति बावरी सा. देह खातेदार (प्रतिवादीगण)					

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना प्रतिवेदन न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। उक्त निर्णय एवं डिक्री पर्चा व विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार, सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित की जाकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पालना तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 10.11.2021 को आयोजित प्रशासन गांवो के संग अभियान/कोर्ट कैम्प–बासना जारी की गई।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021
शिविर ग्राम पंचायत – बासना

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			